राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली केन्द्र

संख्याः– 02/011/2016/एनडीएल/जीएसी　　　　　　　　　　दिनांक28-02-1017

स्टेशनरी एवं प्रिन्टर की उपयोग्य वस्तुओं की तकनीकी एवं वित्तीय बोली का आंमत्रण नोटिस।

कार्य सम्बन्धी अनुसूची

कार्य का नाम	स्टेशनरी एवं प्रिन्टर उपयोग्य वस्तु की आपूर्ति
टेण्डर दस्तावेज लेने /स्पष्टीकरण/जानकरी के लिए सम्पर्क अधिकारी का विवरण	श्री बी.बी. दुआ, संयुक्त निदेशक (तकनीकी) नाइलिट, दिल्ली केन्द्र, दूसरा तल, पार्श्वनाथ मैट्रो मॉल, इन्द्रलोक मैट्रो स्टेशन दिल्ली–110052
टेण्डर दस्तावेज के अन्तर्गत कार्य की सम्भावना सम्बन्धी स्पष्टीकरण/अनुमोदन के लिए सम्पर्क अधिकारी का विवरण	श्री अरविन्द रावत, उपनिदेशक (वि.एवं प्र.) नाईलिट दिल्ली केन्द्र, दूसरा तल पार्श्वनाथ मैट्रोमॉल, इन्द्रलोक मैट्रो स्टेशन दिल्ली–110052
टेण्डर दस्तावेज का मूल्य	रूपए 500/–
वार्षिक अनुमानित लागत	रूपए 3:.00 लाख
ब्याना राशि जमा (ईएमडी)	रूपए 12000/-
सिक्योरिटी जमा	कार्य आदेश स्वीकार करते समय कुल आर्डर मूल्य की 10% राशि जमा करानी होगी।
टेण्डर दस्तावेज, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट आदि डाउनलोड़ करने के लिए वैबसाइट	*http:/www.nielit.gov.in* *http:/www.meity.gov.in*
बोली जमा करने की अन्तिम– तिथि व समय	24-03-.2017 02 बजे दोपहर
टेण्डर जमा करने का पता	निदेशक, दिल्ली केन्द्र, दूसरा तल, पार्श्वनाथ मैट्रोमॉल, इन्द्रलोक मैट्रो स्टेशन दिल्ली–110052
तकनीकी बोली खोलने की तिथि, समय व स्थान	24-03-2017: 3 :00 बजे दोपहर स्थानः नाइलिट दिल्ली केन्द्र, दूसरा तल पार्श्वनाथ मैट्रोमॉल, इन्द्रलोक मैट्रो स्टेशन दिल्ली–110052
बोली **वैधता** ।	बोली जमा करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन

वितीय बोली खोलने की तिथि, समय व स्थान	सफल तकनीकी बोली दाताओं को बाद में सूचित किया जाएगा।

स्टेशनरी एवं प्रिंटर उपयोग्य वस्तुओं के लिए टेण्डर दस्तावेज

1. **पृष्ठभूमिः**

1.1 राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) (पूर्व डी ओ ई ए सी सी सोसायटी) इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत वैज्ञानिक संस्था है, इसे सूचना, इलैक्ट्रानिकी की एवं संचार तकनीक (आई ई. सी टी) में मानव विकास संसाधन और उससे जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में कार्य के लिए स्थापित किया गया है। नाइलिट, उद्योगपरक गुणवता शिक्षा और अत्याधुनिक, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्रों में विकास के अतिरिक्त (आई ई सी टी) के क्षेत्र में **दोनों** औपचारिक व गैर औपचारिक शिक्षा **देने का** कार्य भी करता है। नाइलिट ने आई ई सी टी के क्षेत्र में परीक्षा तथा प्रमाणन के लिए देश का प्रथम संस्थान बनने के मानक स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह देश की एक ऐसी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था भी है जो गैर औपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी, कोर्स के संचालन के लिए संस्थानों/संगठनों को मान्यता देता है। वर्तमान में, देशभर में नाइलिट के पैतींस (35) कार्यालय स्थित हैं, तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देशभर में 800 केन्द्रों की उपस्थिति के साथ इसका **नैटवर्क** भी बहुत अच्छा है।

1.2 नाइलिट दिल्ली केन्द्र प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सामान्य आदेश आपूर्तिकर्ताओं से तथा अधिकृत पुनर्विक्रेताओं/विक्रेता एजेन्ट/ वितरकों को जो कि एच.पी./केनन कम्प्यूटर्स की उपयोग्य चीजों/प्रिन्टर टोनर तथा विभिन्न स्टेशनरी तथा प्रिन्टर उपभोग्य वस्तुओं, जब भी जरूरत हो, के आधार पर आपूर्ति कर सकें, वार्षिक दर पर संविदा देना चाहते हैं। यह टेण्डर दस्तावेज में, कार्य सम्भावना में शामिल किया गया है।

2 पात्रता मापदण्ड

2.1 बोलीदाता का पिछले तीन वर्षों (2013–14, 2014–15, 2015–16) का औसत वार्षिक कारोबार कम से कम दो लाख रूपए होना चाहिए।

2.2 दिनांक 1 जनवरी 2016 को **बोलीदाता का** विभिन्न स्टेशनरी वस्तु आपूर्ति एवं उपयोग्य चीजों एवं प्रिन्टर टोनर के व्यवसाय का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

2.3 पिछले दो वर्षों के दौरान (2014–15, 2015–16) बोलीदाता ने कम से कम **पचास हजार रुपए** रूपए का ऐसा ही वार्षिक अनुबन्ध पूरा किया हो।

2.4 बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों के दौरान (2013–14, 2014–15, 2015–16) सी ए से एक प्रमाणपत्र या बेलेन्स शीट की हस्ताक्षरित प्रतियां वार्षिक टर्न ओवर के प्रमाणस्वरूप तकनीकी बोली के साथ अवश्य लगानी चाहिए अन्यथा बोली रद्द **कर** दी जाएगी।

2.5 बोलीदाता को विवरण में/स्थायी लेखा संख्या, सेवाकर संख्या, बिक्री कर संख्या, वैट का विवरण अवश्य देना चाहिए तथा तकनीकी बोली के साथ उपरोक्त दस्तावेजों की प्रति अवश्य लगानी चाहिए, ऐसा न होने की स्थिति में बोली रद्द कर दी जाएगी।

2.6 **ब्याना राशि जमा (ईएमडी)**

(क) बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ **12000/–** रूपए (**बारह हजार रुपए**) मात्र ब्याना राशि जमा करानी होगी, ऐसा न होने की स्थिति में बोली रद्द कर दी जाएगी।

(ख) ब्याना जमा राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) बैंक चैक (बीसी) के माध्यम से जमा करानी होगी, जो कि नाइलिट के पक्ष में दिल्ली में देय हो।

2.6.1 **ब्याना राशि जमा की जब्तीः–**

ब्याना राशि जमा जब्त कर ली जाएगी यदि,

(क) यदि बोलीदाता कोटेशन प्रस्तुति/स्वीकार करने के बाद बोली वापिस लेता है।

(ख) यदि बोलीदाता **बोली की वैध** अवधि 90 दिन से पहले या नाइलिट द्वारा विशेष मामले में की गई विस्तारण अवधि से पहले जो कि बोली समाप्ति से पहले सूचित कर दी जाएगी, बोली वापिस लेता है।

(ग) यदि बोलीदाता बोली के किसी प्रावधान के अनुपालन में असफल रहता है।

(घ) यदि चयंनित बोलीदाता निष्पादन सिक्योरिटी जमा कराने में असफल रहता है।

2.6.2 **ब्याना राशि जमा की वापसी**

(क) चयंनित बोलीदाता को ब्याना राशि जमा की वापसी तभी होगी जब वह निम्न में उल्लिखित अनुसार निष्पादन प्रतिभूति बैंक गारण्टी के रूप में निष्पादन सिक्योरिटी जमा करा देगा।

(ख) असफल बोलीदाताओं को ब्याना राशि जमा टेण्डर का निर्णय हो जाने पर अथवा टेण्डर वैद्यता की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, उन्हें उनके टेण्डर बोली के रद्द होने की सूचना देते हुए, चैक द्वारा बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जाएगी।

(ग) ब्याना राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

2.7 **निष्पादन सिक्योरिटी जमाः–**

2.7.1 सफल बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता को अनुबन्ध मिलने की अधिसूचना के दो (02) दिन के अन्दर दिए गए अनुबन्ध मूल्य की 10% राशि निष्पादन सिक्योरिटी जमा करानी होगी।

2.7.2 निष्पादन सिक्योरिटी जमा की राशि क्रेता के पास रहेगी जो किसी भी प्रकार के नुकसान की क्षतिपूर्ति स्वरूप होगी। (इसमें अवसर, समय या मूल्य का नुकसान शामिल है।) जो कि अनुबन्ध में उल्लेखित कार्यों को आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता की किसी सफलता के परिणाम स्वरूप होगी।

2.7.3 निष्पादन सिक्योरिटी जमा का रूप नकद राशि स्वीकार नही की जाएगी। निष्पादन सिक्योरिटी खाते में जमा योग्य डिमाण्ड ड्राफ्ट, किसी व्यवसायिक बैंक से सावधि जमा रसीद, किसी व्यवसायिक बैंक से बैंक गारण्टी के रूप में, नाइलिट के पक्ष में दिल्ली में देय, रूप में स्वीकार्य होगी।

2.7.4 निष्पादन सिक्योरिटी **जमा** आपूर्तिकर्ता द्वारा गारण्टी सहित सविदात्मक कार्य पूरा करने की तिथि पूरी होने के 60 (साठ) दिन बाद तक **वैध** होनी चाहिए।

2.7.5 **<u>निष्पादन सिक्योंरिटी जमा की जब्ती</u>**: निष्पादन सिक्योरिटी जमा की राशि निम्न मामलों में जब्त/लागू की जाएगीः–

2.7.5.1 जब किसी अनुबन्ध की नियम व शर्तें वेन्डर/सेवा प्रदाता द्वारा तोड़ी जाती हैं।

2.7.5.2 जब आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता आपूर्ति शुरू करने में असफल रहता है, अथवा आपूर्ति रोक देता है, या क्रय/कार्यआदेश आशिक रूप से देने के बाद असफल रहता है।

2.7.5.3 जब आपूर्तिकर्ता/अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य पूरे करने में असफल रहता है।

2.7.5.4 निष्पादन सिक्योरिटी जमा पर नाइलिट कोई ब्याज नही देगा।

2.7.5.5 ब्याज राशि/ निष्पादन सिक्योरिटी जमा राशि जब्त करने से पहले आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता को उचित समय रहते उपयुक्त नोटिस दिया जाएगा।

2.7.5.6 ब्याज राशि/निष्पादन सिक्योरिटी जमा राशि की जब्ती नाइलिट द्वारा बिना पक्षपात किसी हानि को नियमानुसार पूरा करने के साथ–साथ, भविष्य में व्यवसाय नाता तोड़ना, ब्लैकलिस्ट करना आदि, जो भी उचित होगा, किया जा सकेगा।

3. **<u>अनुबन्ध की अवधिः–</u>** अनुबन्ध दो वर्षों के लिए होगा और इस दौरान दरों में किसी परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी।

4. **<u>अनुबन्ध का मूल्य :–</u>** कार्य का अनुमाानित मूल्य **तीन** लाख रूपए है। यह केवल सांकेतिक है तथा वास्तविक अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है।

5. **<u>कार्य की सम्भावनाएंः–</u>** अनुबन्ध के कार्यक्षेत्र में स्टेशनरी की 104 सामान्य वस्तुएं एवं 10 प्रिन्टर उपयोग्य वस्तुएं तथा दो अलग पैकेज में टोनर शामिल है जो कि मूल्य सूची पैकेज 'ए' अनुबन्ध–II (परिशिष्ट–I) तथा मूल्य सूची पैकेज 'बी' अनुबन्ध– II (परिशिष्ट–II) मे **दर्शाई** गई हैं। वेन्डर्स सभी वस्तुओं की दरें कोट कर सकते हैं तथा फिर ब्राण्ड/ विभिन्न किस्में, अपनी पसन्द के अनुसार दोनों या किसी एक के मूल्य सूची पैकेज 'ए' और मूल्य सूची 'बी' में भर सकते है। तथापि, किसी एक पैकेज विशेष में शामिल सभी वस्तुओं की दरे वेन्डर को भरनी होगी। यदि कोई वेन्डर सभी वस्तुओं के ब्राण्ड / किस्में किसी भी मूल्य सूची में कोट नहीं करता तो उस पर विचार नहीं होगा और उस रद्द कर दिया जाएगा। सामान्यत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश तिमाही आधार पर दिया जाएगा। तथापि, जब भी जरूरत हुई तथा तत्काल जरूरत हुई तो एक विशिष्ट क्रय आदेश दिया जाएगा। चयनित आपूर्तिकर्ता को इस टेण्डर में अन्तिम रूप से स्वीकृत दरों के अनुसार ऐसे आदेशों के लिए वस्तुओं की आपूर्ति करनी होगी।

6. **नियम व शर्ते :–**

6.1 बोली नियत तिथि के बाद 90 दिनों के लिए **वैध** होनी चाहिए।

6.2 कोट की गई दरें पक्की एवं भारतीय रूपयों में होनी चाहिए। अंकों और शब्दों में किसी प्रकार का अन्तर / विसंगति होने पर बाद वाला मान्य रहेगा।

6.3 **जरूरत होने पर** चयनित बोलीदाता को वस्तुओं की आपूर्ति अल्प नोटिस पर, यहां तक कि छुट्टी के दिनों में भी करनी होगी।

6.4 वस्तुएं वास्तविक एवं मानक स्तर की होनी चाहिए। यदि कभी पाया गया कि वस्तुएं नकली या कल्पित हैं तो नाइलिट को एग्रीमैण्ट समाप्त करने, निष्पादन सिक्योरिटी जब्त करने और फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार होगा।

6.5 व्यवसाय शुरू करने **व** तीन वर्ष के अनुभव सम्बंधी प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए।

6.6 ऐसी ही वस्तुओं के क्रय आदेश की प्रतियां संलग्न करें जो पिछले दो वित्तीय वर्ष (2013–2014 तथा 2014–15) के दौरान सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, तथा प्रतिष्ठित व्यवसायिक संगठनों द्वारा दिए गए हों।

6.7 बेलेन्स शीट के साथ **लाभ व हानि लेखा की प्रतियाँ** जिसमें तीन वित्तीय वर्ष का (2012–13, 2013–14, 2014–15) का वार्षिक कारोबार दिखाया गया हो,**। ये** प्रतियां सी.ए. द्वारा प्रमाणित हों, जिसमें परिशिष्ट–I की आइटम–7 के अनुपालन में न्यनूतम दो लाख रूपए का औसत वार्षिक कारोबार दिखाया गया हो।

6.8 सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी सीएसटी/वैट, पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा पैन नम्बर की प्रतियां।

6.9 बोलीदाता तथा अधिकृत व्यक्ति जो नाइलिट से संवाद करेंगे उनके कानूनी अस्तित्व सम्बंधी दस्तावेज प्रमाण की प्रति।

6.10 दरें, नाइलिट परिसर में वितरण सहित भारतीय रूपयों में कोट की जानी चाहिए तथा यह दरें संविदा के समय प्रचलित मुद्रा अनुसार नियत रहेगी (दो वर्ष की अवधि के लिए) तथा इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। दरों में उत्पाद कर, भाड़ा, परिवहन, पैकिंग, अग्रेषण, रख–रखाव आदि शामिल कर लिया जाना चाहिए परन्तु वैट/सीएसटी तथा स्थानीय कर यदि कोई हों, शामिल न किए जाएं क्योंकि ये जैसे भी लागू होंगे नाइलिट द्वारा दिए जाएंगे। दरें, परिशिष्ट–II में मूल्य सूची प्रोफार्मा के अनुसार कोट की जानी चाहिए। बोलीदाता को पात्रता मापदण्ड पूरा करने के लिए सम्बंधित पैकेज विशेष की सभी वस्तुओं के लिए कोट करना होगा। अपूर्ण बोली को रद्द कर दिया जाएगा। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता /बोलीदाता को फार्म में ठीक करना / जोड़ना/ ओवरराइटिंग, यदि कोई हो तो सत्यापित करना चाहिए। मूल्य सूची पैकेज – ए में वर्णित वस्तुओं के सम्बंध में, अग्रेषण पत्र की सूची अनुसार कोट करने से पहले, इस कार्यालय के स्टोर अनुभाग में रखे सैम्पल देख सकते हैं। इन वस्तुओं की दरें ऐसे ही ब्राण्ड के लिए कोट की जानी चाहिए (जहां यह उल्लिखित है) जो कि नाइलिट स्टोर में रखे मूल्य सूची प्रोफार्मा में तुलनीय गुणवत्ता, कार्य कौशल, विनिर्देश इत्यादि के अनुसार

हों। परिशिष्ट–II में मूल्य सूची, पैकेज बी, में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए कम्प्यूटर उपभोग्य चीजों हेतु वास्तविक ब्राण्ड की दरें कोट करें।

6.11 सबसे कम दरों वाले सफल बोलीदाता को सम्बन्धित पैनल में कार्य आदेश स्वीकृती / निष्पादन सिक्योरिटी जमा की तिथि से दो वर्ष के लिए नियत दरों पर आपूर्तिकर्ता के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। टेण्डर दस्तावेज में इंगित वस्तुओं की तिमाही में आवश्यकता मात्रा केवल अनुमान मात्र है। नाइलिट किसी एक अथवा सभी वस्तुओं के क्रय के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। जिस मात्रा में क्रय आदेश दिया जाएगा वह वास्तविक जरूरत पर आधारित होगा इसलिए भिन्न हो सकता है। यदि दोनों पक्ष परस्पर सहमत हो तो इन्हीं नियम व शर्तों के आधार पर एग्रीमेण्ट दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। (एक वर्ष के आधार पर)। यदि पैनल किया गया आपूर्तिकर्ता किसी स्थिति में भी टेण्डर / एग्रीमैण्ट की शर्तें तोड़ता है, या नाइलिट, आपूर्तिकर्ता की सेवाओं से सन्तुष्ट न हो तो एग्रीमेण्ट समाप्त कर दिया जाएगा। इस सम्बंध में नाइलिट का निर्णय अन्तिम होगा।

6.12 संविदा लेने वाले वेण्डर को पूरी अवधि के लिए सेवाएं देनी होगी तथा इसमें किसी प्रकार असफल होने पर बैंक गारण्टी / निष्पादन सिक्योरिटी जमा की डी डी द्वारा दी गई राशि जब्त की जा सकेगी, इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य उपयुक्त कार्यवाही भी की जा सकती है।

6.13 वेण्डर द्वारा संविदा तोड़ने की स्थिति में नाइलिट को संविदा रद्द करने / समाप्त करने के साथ–साथ **जमा सिक्योरिटी** जब्त करने का प्राधिकार भी होगा।

6.14 यह भी उल्लेख कर दिया जाए कि कोटेशन टेण्डर की विशिष्ट शर्तों के अनुसार है, यदि ऐसा **न** हो तो जो भी अन्तर हो तकनीकी बोली में उसे पूरी तरह समझाया जाना चाहिए।

6.15 नाइलिट के पास किसी भी बोली को अस्वीकार करने या रद्द करने का या बिना कोई कारण बताए, टेण्डर प्रक्रिया रद्द करने का जो भी हो, अधिकार सुरक्षित है। यह भी, कि परिशिष्ट–II की मूल्य सूची में सूचीबद्ध किसी वस्तु को खरीदने या न खरीदने का अधिकार भी नाइलिट के पास सुरक्षित है।

6.16 संविदा का न्यायिक अधिकार क्षेत्र दिल्ली होगा। यह दस्तावेज और संविदा या टेण्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी **व** सौंपे गए कार्य के पत्र की व्याख्या भारतीय कानून अनुसार होगी।

6.17 संविदा से उत्पन्न सभी विवाद नाइलिट तथा अनुबन्धकर्ता द्वारा आपसदारी से निपटाए जाएंगे। परस्पर सहमति से निपटारा न होने की स्थिति में ये आरबिट्रेशन एवं कान्साइलेशन अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त आरबिट्रेटर द्वारा निपटाए जाएंगे। आरबिट्रेटर का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।

6.18 बोलीदाता बोली की शर्तों, बोली प्रक्रिया तथा / या बोली रद्द होने सम्बंधी प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र हैं।

7. **<u>भुगतान</u>**

7.1 वेण्डर्स को वस्तुओं की सम्भाल/सेवा प्रभार आदि के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

7.2 नाइलिट द्वारा भुगतान केवल वस्तुओं की प्राप्ति तथा संतोषजनक रूप से स्वीकार होने पर तथा दो प्रतियों में पूर्व प्राप्ति बिल मिलने पर किया जाएगा। यदि, कोई वस्तु आदेशित विशिष्टता / ब्राण्ड / बनावट / मॉडल

या अपेक्षा अनुसार नहीं हो या मानकों के अनुरूप न हो तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और आपूर्तिकर्ता को उसे बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के वितरण की तय अवधि में बदलना होगा।

7.3 कोट की गई दरें पक्की हों तथा भारतीय रूपयों में हों। कोट की गई दरों में अंकों और शब्दों में यदि कोई अन्तर / विसंगति हुई तो बाद वाला अभिभावी होगा।

7.4 संविदा की वैद्यता की अवधि में कोट की गई दरों में किसी बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

8. <u>अन्य सूचना</u>

8.1 <u>संविदा की समाप्ति</u>

दो महीने का नोटिस देकर कोई भी पक्ष संविदा समाप्त कर सकता है।

8.2 निदेशक, नाइलिट दिल्ली केन्द्र के पास किसी भी या सभी कोटेशन्स को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.3 यदि बोलीदाता को इस दस्तावेज की किसी धारा से कोई कठिनाई हो तो इसे तकनीकी बोली के प्रोफार्मा में विहित कॉलम में स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए। बोलीदाता को कठिनाई के समाधान के लिए उपयुक्त विकल्प इंगित करना चाहिए। इस पर नाइलिट द्वारा निर्णय लिया जाएगा जो कि अन्तिम एवं बाध्य होगा। यदि ऐसे मामले में नाइलिट का निर्णय बोलीदाता को स्वीकार्य नहीं होगा तो बोलीदाता की वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।

8.4 चूंकि सभी गतिविधियां संचालन प्रकृति की है इसलिए हर समय सुनिश्चित आर्डर सम्भव नहीं हो सकेगा, ऐसी स्थिति में ई–मेल/एसएमएस/फोन पर नाइलिट द्वारा दिया जाएगा आर्डर सुनिश्चित आर्डर माना जाना चाहिए।

9. <u>बोली जमा करने की प्रक्रिया</u>

9.1 टेण्डर में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता तकनीकी बोली परिशिष्ट–I प्रोफार्मा में तथा वित्तीय बोली परिशिष्ट–II प्रोफार्मा में अलग–अलग लिफाफों में 'तकनीकी बोली' तथा 'वित्तीय बोली' लिखकर, व उन्हें एक बड़े लिफाफे में सील, कर के उस पर ''स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कोटेशन'' लिखकर दिनांक 24-03–2017 दोपहर 02:00 बजे तक या उससे पहले निदेशक के पते पर अवश्य पहुंचा दें।

9.2 तकनीकी बोली दिनांक 24-03-2017 को 03 **बजे** इस संस्थान में खोली जाएगी। बोलीदाता इस कार्यालय को पूर्व सूचना देकर अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं। पूरी तरह हस्ताक्षरित परिशिष्ट–I के बिना भेजे गए प्रस्ताव अपूर्ण माने जाएंगे, इसलिए इन्हें रद्द किया जा सकेगा।

9.3 किसी प्रकार की ओवरराइटिंग, काटा -पीटी, सफेद फ्लूड का प्रयोग होने पर बोली रद्द कर दी जाएगी।

9.4 अपूर्ण बोली (जिसमें वैबसाइट से डाउनलोड किए गए टेण्डर दस्तावेज की फीस जमा न करना भी शामिल है) पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

9.5 **वित्तीय बोली**

प्रोफार्मा के सभी कॉलम सही एवं स्पष्ट भरे होने चाहिए। बोलीदाता अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार किसी एक अथवा दोनों पैकेज के लिए अपनी बोली जमा कर सकते हैं। तथापि, बोलीदाता को पैकेज विशेष में शामिल सभी वस्तुओं की दरें कोट करनी होगी।

9.6 **बोली मूल्यांकन मापदण्ड**

9.6.1 सभी बोली इस दस्तावेज में उल्लिलिखत अनुसार, बोलीदाताओं की उपस्थिति में, यदि हुए तो, नाइलिट के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खोली जाएंगी।

9.6.2 बोलीदाता वित्तीय बोली खोलने के समय अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

9.6.3 बोलीदाता का निर्णय अनुबन्ध – II में कोट की गई दरों को देखते हुए तथा पैकेज मूल्य सूची (परिशिष्ट–I) तथा पैकेज मूल्य सूची–बी (परिशिष्ट – II के अनुसार) ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। एल–1 (परिशिष्ट–II अनुसार प्रत्येक पैकेज सूची में न्यूनतम कुल लागत) बोलीदाता को सामान्यतया संविदा दी जाएगी। **तथापि** , नाइलिट के पास किसी भी बोलीदाता (एल–1 सहित) को किन्हीं लिखित कारणों से उपेक्षित करने का अधिकार सुरक्षित है।

9.6.4 सभी मामलों में नाइलिट दिल्ली केन्द्र का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकादी होगा।

10. **आरबिट्रेशन, कानून एवं न्यायक्षेत्र**

10.1 यह अनुबन्ध भारत के कानून से शासित एवं वर्णित होगा तथा केवल दिल्ली, भारत के न्यायालय अधिकार क्षेत्र में होगा।

10.2 अनुबन्ध दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा तथा अनुबन्ध की मूल प्रति किसी भी एक पक्ष द्वारा रखी जाएगी।

10.3 संविदा से उत्पन्न सभी विवाद नाइलिट तथा अनुबन्धकर्ता द्वारा आपसदारी से निपटाए जाएंगे। परस्पर सहमति से निपटारा न होने की स्थिति म **`ये** "आरबिट्रेशन एवं कन्साइलेशन अधिनियम 1956" के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त आरबिट्रेटर द्वारा निपटाए जाएंगे। आरबिट्रेटर का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।

10.4 इस अनुबन्ध / कार्य / एग्रीमैण्ट से सम्बंधित आरबिट्रेशन एवं अन्य विधिक विवादों के लिए स्थान दिल्ली होगा।

11. **अप्रत्याशित स्थिति**

किसी भी पक्ष द्वारा अप्रत्याशित स्थिति के कारण निष्पादन में विलम्ब अथवा असफलता क्षम्य होगी। इस एग्रीमैण्ट के उद्देश्यों के लिए अप्रत्याशित स्थिति का अर्थ होगा : ऐसा कारण या घटना जिसका पहले से अनुमान नहीं था, जिससे ऐसा हुआ या अप्रत्याशित स्थिति का दावा करने वाले पक्ष का नियंत्रण नहीं था जिसमें शामिल हैं, ईश्वरीय विपत्ति, आग, बाढ़, विस्फोट, दंगे, युद्ध, समुद्री तूफान, आतंकवाद षड़यंत्र, बर्बरता, दुर्घटना, शासकीय कठोरता, शासकीय कृत्य, निषेधाज्ञा, या इसके अतिरिक्त कोई अन्य जो पक्ष या आपूर्तिकर्ता को सामान या उपकरण देने से रोकते हो या ऐसी अन्य घटनाएं जो पक्ष के नियंत्रण एवं आशा से परे हों, बावजूद

इसके लिए पक्ष ने जिसके ऐसी स्थिति का प्रभाव कम करने, या ऐसी घटना होने, या ऐसी घटना से बचने के उपयुक्त प्रयास किए हों या ऐसी घटना या इसके कारण हुए प्रभाव जिन्हें कि इस एग्रीमैण्ट के अन्तर्गत कार्य निष्पादन की असफलता के लिए निश्चित तौर पर जिम्मेदार न माना जा सके।

यदि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कार्य निष्पादन की असफलता के लिए अप्रत्याशित स्थिति को कारण बनाया हो तो निष्पादन न कर सकने वाले पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि उन्होंने अप्रत्याशित स्थिति के कारण हुए विलम्ब या नुकसान को न्यूनतम करने का प्रयास किया। साथ ही पक्ष ने हो सकने वाले दायित्वों को पूरा किया और दूसरे पक्ष को इस धारा में वर्णित (अप्रत्याशित स्थिति) घटना की सम्भावना या इसके वास्तविक रूप से होने की सूचना समय रहते दे दी गई थी।

तकनीकी बोली के लिए प्रोफॉर्मा

1 संगठन का नाम, पता, ई-मेल, व टेलीफोन न.

2 व्यवसाय शुरू करने की तिथि
(कथन के समर्थन में प्रमाण लगाएँ)

3 संगठन की स्थिति (स्वामित्व, भागीदारी, प्राइवेट लि.,पब्लिक लि. कंपनी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम इत्यादि के अधीन पंजीकृत)

4 संगठन की पंजीकरण संख्या (कृपया पंजीकरण/निगमन/भागीदारी दस्तावेज़ का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

5 सी ई ओ/स्वामी/भागीदार का नाम

6 नाम, पदनाम व पता (फोन/मोबाइल न./ई-मेल)
(जिससे संपर्क किया जा सके)

7 टूर व ट्रेवल व्यवसाय शुरू करने की तिथि (प्रमाण लगाएँ)

8 वार्षिक कारोबार (बेलेन्स शीट/आकार रिटर्न/सी ए प्रमाणपत्र लगाएँ)
वर्ष 2013 -14 2014 - 15 2015 - 16

9 सेवा कर न. (सेवाकर पंजीकरण की प्रति लगाएँ

10 संगठन/स्वामी का स्थायी लेखा संख्या (यदि संचालनकर्ता संगठन का पैन जारी नहीं हुआ तो संगठन का नाम) प्रति लगाएँ ।

11 संगठन का विवरण जहां ऐसी सेवाएँ दी जा रही हैं, जो कि टेंडर दस्तावेज़ की धारा 23.4 के निर्धारित पात्रता मापदंड पूरे करता है ।

क्रम स.	नाम व पता	संपर्क व्यक्ति का नाम /फोन न.	अनुबंध का वार्षिक मूल्य	सेवाएँ कब से दी जा रही हैं ।

12 बोली प्रस्तुत करने वाले दिन दिल्ली और आस पास ग्राहको की संख्या जिन्हें सेवा प्रदान की जा रही है । (पते व फोन न. की सूची सहित)

13 संगठन के स्वामित्व वाले वाहनो की संख्या <(कृपया पूरी सूची लगाएँ जिसमें प्रत्येक वाहन का मॉडल,नाम, पंजीकरण संख्या, पंजीकरण का वर्ष इंगित हो।

14 जमा की गई बयाना राशि का विवरण : डी डी /पे ऑर्डर : संख्या : दिनांक ---
रुपए 10,000/- बैंक का नाम :
नाईलिट के पक्ष में नई दिल्ली पर देय

15 संगठन/ गैरेज की अवस्थिति : लीज़ एग्रीमेंट/किराया रसीद/अन्य
(कृपया धारा 23.2 देखें)

घोषणा :

(क) प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना सही है ।

(ख) मैंने/हमने टेंडर दस्तावेज़ के नियम व शर्तें अच्छी तरह पढ़ ली हैं एवं इनके मानने की पुष्टि करते हैं । टेंडर दस्तावेज़ की एक प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर हैं, नियम व शर्तें स्वीकार करने के रूप में संलग्न है।

(ग) इस बोली का हस्ताक्षरकर्ता संगठन की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है।

हस्ताक्षर -------------------

नाम ---------------------------

पदनाम ----------------------

दिनांक ----------------------------- संगठन की मोहर -----------.

अनुबंध-II

वित्तीय बोली के लिए प्रोफॉर्मा

1 संगठन का नाम, पता, टेलीफोन नंबर तथा ई मेल पता :

बिक्री कर / वैट नंबर :

स्थायी खाता संख्या :

2 कुल प्रस्तावित मूल्य (रुपयों में) के संबंध में :

I) मूल्य सूची पैकेज ए में शामिल वस्तुएं (पारिशिष्ट -II अनुसार)

II) मूल्य सूची पैकेज बी में शामिल वस्तुएं (परिशिष्ट-III अनुसार)

घोषणा :

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना सही है । हमने टेंडर दस्तावेज़ के नियम व शर्तें अच्छी तरह पढ़ ली हैं तथा इनके मानने की पुष्टि करते हैं ।

इस बोली का हस्ताक्षरकर्ता संगठन की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है ।

स्थान : **हस्ताक्षर :---------------**

दिनांक :---------------

नाम :----------------------------

कंपनी की मोहर: ---

पदनाम: -----------------

तर्कसंगत होने संबंधी वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि मुझे बोलीदाता द्वारा उल्लिखित दरें भरने तथा सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया है। मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार : -

उपरोक्त बोली में प्रस्तुत सूचना सही है । 1
णी की वस्तुओं या विवरण अनुसार किसी प्राइवेट श्रे/टेंडर में दी गई दरें बाज़ार भाव के समान हैं और इसी प्रकार 2 क्रेता, चाहे विदेशी या सरकारी क्रेता हो, सामान्यतया उनसे ली जाने वाली दरों से अधिक नहीं है ।
स्वदेशी व 3स्तुओं के बारे में जिनका मूल्य कानून द्वारा नियंत्रित है, उनका कोट किया गया मूल्य, नियंत्रित मूल्य से अधिक नहीं है ।
वस्तुएं आवश्यक विशिष्टता एवं गुणवत्ता वाली होंगी । / उत्पाद/ आपूर्ति की गई सेवाएँ 4
हम समझते हैं 5कि के " असहमति तथा प्रस्तावित हल"बिन्दु जो हमारे द्वारा सुझाए गए हैं, उनको स्वीकार / गा ।रद्द करने के संबंध में नाईलिट का निर्णय अंतिम एवं बाध्य हो
रद्द करने के संबंध में / हम समझते हैं कि बोली को स्वीकार 6, बिना कोई कारण बताए या जो भी हो ,नाईलिट का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।
हम सम 7झते हैं कि ऑर्डर किसी भी तरह अलग - अलग देने कारेट पर देने के 1 - कई बोलीदाताओं को एल / संबंध में, बिना कोई कारण बताए या जो भी हो , नाईलिट का निर्णय अंतिम व बाध्य होगा ।
यदि हम सभी ग्रुप के लिए दरें कोट नहीं करते हैं तो बोली रद्द करने का नाईलिट का निर्णय 8 हमें स्वीकार है ।
इस बोली का हस्ताक्षरकर्ता इस प्रकार की बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए 9संगठन द्वारा अधिकृत है

स्थान ------------ हस्ताक्षर ----------------------
दिनांक --------------------- नाम -------------------
कंपनी की मोहर .---------------- पदनाम ----------

काली सूची में न होने संबंधी - स्वयं की घोषणा

सेवा में,

निदेशक
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
नाईलिट ,दिल्ली केंद्र ,
दूसरा तल, पाश्र्व्नाथ मैट्रो माल,
इन्द्रलोक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली - 52

इस टेंडर की प्रतिक्रिया में मैं / हम एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी कंपनी / फर्म मैसर्स -- का रिकार्ड साफ सुथरा है तथा इसे कभी भी किसी राज्य / केंद्र सरकार / सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त निकाय द्वारा कभी भी भ्रष्टता एवं धोखा धड़ी के कारण अनिश्चित काल या किसी विशेष समय अवधि के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारी कंपनी / फर्म मैसर्स --काली सूची में नहीं है, और इसे भ्रष्टता एवं धोखाधड़ी के अलावा किसी अन्य कारण से किसी राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय द्वारा बोली जमा करने की तिथि तक अयोग्य घोषित नहीं किया गया है तथा फर्म / कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला लंबित नहीं है ।

यदि यह घोषणा किसी समय गलत पाई जाती है तो बिना किसी पक्षपात के कोई अन्य कार्यवाही की जा सकती है तथा दिया गया कोई भी संविदा कार्य चाहे किसी सीमा तक स्वीकार हो चुका हो , उसे रद्द किया जा सकता है ।

स्थान -------------------   हस्ताक्षर -------------
दिनांक ---------------------   नाम -----------------------

कंपनी मोहर --------------   पदनाम ------------